

बिहार स्टेट माइनोरिटीज फाइनेन्सियल कारपोरेशन लि० पटना

(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार का एक उपक्रम)

34, हार्डिंग रोड, (अली इमाम पथ) पटना-800001 Ph: 0612-2204975) Fax : 0612-2215994

(Email= bsmfclpatna-bih@gov.in website:www.bsmfc.org)

नि०/रोजगार ऋण-03-76/22 संख्या:-----

पटना, दिनांक: -----

स्वीकृत्यादेश

निगम के ज्ञाप संख्या-1197 दिनांक-23.07.2018 के आलोक में राज्य सम्पोषित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना 2020-21 एवं 2021-22 अन्तर्गत जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा दिनांक-18.08.2022 एवं 20.08.2022 को चयनित वृहद ऋण क्र०स० 01 से 02 तक के आवेदकों में से निम्नांकित आवेदकों से प्रमण्डलीय प्रभारी एवं सहायक निदेशक, पूर्वी चम्पारण द्वारा त्रुटिहीन दस्तावेजीकरण एवं स्थल जाँच निष्पादित कराकर ऋण स्वीकृति देने के लिए निगम मुख्यालय को भेजा गया। सहायक निदेशक, पूर्वी चम्पारण की अनुशंसा के आधार पर कुल 02 लाभुकों को उनके नाम के सामने अंकित ट्रेड में 5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दर्शाये गए ऋण राशि की स्वीकृति दी जाती है। साथ ही विभागीय पत्र संख्या 2127 दिनांक 05.12.2018 के तहत RTGS/NEFT के माध्यम से ऋण राशि भुगतान करने हेतु प्राप्त निदेश के आलोक में स्वीकृत ऋण राशि में से 0.5% प्रोसेसिंग चार्ज कटौती करने के पश्चात नीचे शुद्ध भुगतये के स्तम्भ में दर्शाये गये राशि सीधे सम्बन्धित लाभुक के आधार कार्ड आच्छादित बैंक खाता में RTGS/NEFT के माध्यम से अंतरित करने के लिए आदेश दिया जाता है :-

Sl. No	चयन सूची क्र०स०	आई० डी० न०	Appl_Name / F/H_Name & Address	Bank A/c No.	Trade	Sanctioned Loan Amount	Less 0.5% Processing+ Imboss Charge	Net Payable Amount
1.	3	1015	SHAFINA KHATOON, S/o- MD FAIZUL HASSAN, Vill.-GOABARI, Block + PS-DHAKA, PO-BALUA TOLA, Distt.-EAST CHAMPARAN-845304, MOB-9060737975	A/c No.:- 42208964355, SBIN0000152	JEWELLER SHOP	300000	1500 + 2030 = 3530	296470
2.	7	1335	MUHAMMED ABDUL HUSSAIN, S/o- MUHAMMED RAHMULLAH Vill-GOABARI Block-DHAKA, PS-KUNDWA CHAINPUR, PO-BALUA TOLA, Distt-EAST CHAMPARAN -845304, MOB-9060511640	A/c No.:- 42208285046, SBIN0000152	CLOTH SHOP	300000	1500 + 2030 = 3530	296470
TOTAL						6,00,000	7,060	5,92,940

स्वीकृत ऋण राशि में वर्णित ट्रेड में लाभार्थी द्वारा परिसम्पत्तियाँ/सामग्रियों का क्रय 30 दिनों के अन्दर में निश्चित रूप से कर लिया जाना है तथा ऋण राशि से सृजित की गयी परिसम्पत्तियाँ अथवा क्रय की गयी सामग्रियों की भौतिक जाँच कर सहायक निदेशक, पूर्वी चम्पारण द्वारा अपने पर्यवेक्षण में किसी कर्मी से कराते हुए आकड़ा संधारित करेंगे एवं प्रतिवेदन की एक प्रति निगम मुख्यालय को भी उपलब्ध करायेगें।

उक्त स्वीकृत ऋण को ऋणधारक द्वारा ब्याज सहित 20 सामान त्रैमासिक किस्तों अर्थात् 5 वर्षों में वापस किया जाना है।

ह0/-

प्रबंध निदेशक

दिनांक: 18-10-2023

ज्ञापांक: नि०/रोजगार ऋण-03-76/22 2316

प्रतिलिपि:-सहायक निदेशक, पूर्वी चम्पारण/ सभी ऋणधारकों/ ऋण शाखा/ ऋण शाखा/(कम्प्यूटर सेल)/ लेखा शाखा/

तिरहुत प्रमण्डलीय प्रभारी को सूचनार्थ एवं आई०टी०मैनेजर को एस०एम०एस भेजने हेतु सूची प्रेषित।

18/10/23
सहायक निदेशक